Speed Post/Urgent

1177

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

OSD (R.K)

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् सुल्तानगंज
जिला – भागलपुर

महाशय,

11 APR 2016

नगर परिषद्, सुल्तानगंज के वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 13/16 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद् बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

S.O.-7

13/4/16

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14550 / 04 दिनांक– 07.04.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भागलपुर

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

148
20/4/16

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
13 APR 2016
संख्या 3280
बिहार, पटना

1176

नगर परिषद, सुल्तानगंज

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.–1316/15–16

भाग – I

प्रस्तावना

1. **निरीक्षित कार्यालय का नाम** :–नगर परिषद, सुल्तानगंज
2. **लेखा की अवधि** :–2013–14 से 2014–15
3. **लेखापरीक्षा का उद्देश्य** :–अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच की गयी पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. **लेखापरीक्षा की अवधि** :–08.07.2015 से 22.07.2015
5. **प्रशासन** :–

1) सभापति का नाम	**अवधि**
क) श्रीमति दयावती देवी	01.04.13 से 31.03.15
2) उपसभापति का नाम	**अवधि**
क) श्रीमति पुष्पांजली देवी	01.04.13 से 31.03.15
3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी	**अवधि**
क) श्री दिनेश राम	01.04.13 से 16.02.14
ख) श्री दिनेश प्रसाद	16.02.14 से 03.03.14
ग) श्री दिनेश कुमार	03.03.14 से 31.03.15

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री रामजतन कुमार ले0प0
2. श्री नित्येश प्रताप सिंह, स0ले0प0अ0
3. श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, व0ले0प0अ0

7 **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः**– अप्रस्तुत

8 **लेखापरीक्षा टिप्पणीः**– नगर परिषद, सुल्तानगंज की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण

1795

नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया तथा गृह कर का अधिरोपण एवं वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाए। नगर परिषद, सुल्तानगंज प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए। नगर परिषद प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

9 कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– नहीं

10 लेखापरीक्षा का परिणाम :–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि :– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि :– रू0 7425555

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि :–रू0 17495327

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–VI पर है।

11 बजट :– अप्रस्तुत

12. वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का लेखापाल रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था। परिषद द्वारा उक्त अवधियों के उपलब्ध कराये गये रोकड़बहियों के अनुसार नगर परिषद की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट–।।। पर है।

उपलब्ध कराये गये कुछ रोकड़बहियों के अंतशेषों तथा कोषागार एवं बैंक पासबुक अंतशेष में अंतर पाया गया। अतः अंतशेषों में अंतर का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाये एवं समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

भाग–II(क)

कंडिका संख्या 1:– स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में अनियमित भुगतान (राशि–50.00 लाख)

सुल्तानगंज नगर परिषद् को पत्र सं0 आर.टी.जी.एस. दिनांक 04.12.12 द्वारा 7500000/– की राशि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त हुई थी।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस योजना में प्रशिक्षण देने के लिए 63 गैर सरकारी संस्था का चयन किया तथा पत्र सं0 927 दिनांक 06.09.12 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि समयाभाव के कारण संस्थाओं के संबंध में कोई जांच नहीं किया गया है। अतः संस्थाओं के साथ एकरारनामा एवं प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व अपने स्तर से जांच कर लें। इसके साथ– साथ उक्त पत्र के क्रम सं0 11 में यह भी निर्देशित किया गया था कि अगर प्रथम चरण में प्रशिक्षण नगर निकाय द्वारा प्रारम्भ कर सफलतापूर्वक समाप्त किया जाता है तो दूसरे चरण का भी प्रशिक्षण तुरन्त प्रारम्भ करा दिया जायेगा

तथा इसके लिए आवेदन अपने स्तर (नगर निकाय) से दिये गये मापदंड के आधार पर प्राप्त कर लिया जाय।

नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार ने अपने पत्र सं0 507/12.06.2012 द्वारा सुल्तानगंज नगर परिषद् को स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत 350 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया था एवं नगर निकाय द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30.06.2012 निर्धारित की गयी थी। प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में व्यवसायवार पंजीकृत कर दिनांक 04.07.2012 तक विभिन्न ट्रेंडों में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या व्यवसायवार बिहार शहरी विकास अभिकरण को प्रेषित करना था।

सुल्तानगंज नगर परिषद् ने तुलनात्मक विवरणी के आधार पर सम्बोधित ग्रा0 मधुवन, दरियापुर, पो0 परसन्डों, जिला– मुंगेर का चयन किया एवं कार्यदेश निर्गत किया। (पत्रांक 941/1.10.2012)

सुल्तानगंज नगर परिषद् एवं सम्बोधित ग्रा0 मधुवन, दरियापुर, पो0 परसन्डों, जिला– मुंगेर के बीच दिनांक 03.10.2012 को एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के साथ साथ सचिव, सम्बोधित ग्रा0 मधुवन, दरियापुर, पो0 परसन्डों, जिला– मुंगेर ने एक शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर किया।

एकरारनामा एवं कार्यादेश में कहीं भी संस्था को अग्रिम देने की शर्त नहीं लिखी पायी गयी।

पत्र सं0 507/12.06.12 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह निर्देशित किया कि नगर निकाय में प्राप्त आवेदन में दर्शाए गए वी.पी.एल संख्या एवं आवेदनों की जांच कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जायगा। इसके साथ साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि जहॉ नगर प्रबंधक नहीं है वहॉ कार्यपालक पदाधिकारी ही नोड्ल पदाधिकारी माने जायेगें। नोड्ल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे स्वयं प्रशिक्षण के विभिन्न स्तर का पर्यवेक्षण स्वयं करेगें एवं पूर्ण सतुंष्ट होकर ही संस्था को भुगतान करेगें। नगर निकाय द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित सभी कागजातों का सही ढंग से संधारण किया जायेगा।

चयनित संस्था द्वारा निम्नलिखित चार ट्रेडों में प्रशिक्षण 06.10.2012 से प्रारम्भ किया गया।

1. कम्प्यूटर
2. फैशन डिजाइनिंग
3. ब्यूटिशियन
4. स्पोकेन इंगलिश

प्रति लाभार्थी 10000/– की राशि उपलब्ध करायी गयी थी।

चयनित संस्था द्वारा अग्रिम की मांग की गयी एवं नगर निकाय द्वारा 2012–15 की अवधि में कुल 5000000.00 राशि संस्था को उपलब्ध करायी गयी। विवरणी इस प्रकार है–

कम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
1	490435	25.02.13	400000.00
2	490438	05.03.13	1000000.00
3	490441	08.07.13	1000000.00
4	490449	03.08.13	400000.00
5	490454	26.02.14	1000000.00
6	490455	26.02.14	1000000.00
7	490456	26.02.14	200000.00
कुल			**5000000.00**

संचिका में संलग्न पत्र सं0 406/28.05.13 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि संस्था द्वारा प्रशिक्षण से संबधित अद्यतन प्रतिवेदन, संबधित दस्तावेज यथा लाभार्थियों का आवेदन पत्र, बी.पी.एल संख्या का सत्यापन, टुल किट की विवरणी एवं अपेक्षित संख्या एवं वितरण की सूची, टुल किट किस प्रतिष्ठान से खरीदा गया आदि कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया।

पत्र सं0 570/06.07.2013 द्वारा तत्कालीन टैक्स दरोगा श्री सियाराम झा को नगर निकाय में समर्पित सभी आवेदनों के बी.पी.एल. संख्या का सत्यापन करने का आदेश दिया गया।

संचिका में संलग्न पत्र सं0 770/21.09.13 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि संस्था द्वारा प्रशिक्षण के बाद 350 प्रशिक्षणार्थीयों में से एक भी लाभार्थी का फार्म कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यालय यह बताने में पूरी तरीके से असमर्थ था कि किस किस लाभुको ने कौन– कौन सा कोर्स का प्रशिक्षण लिया अथवा नहीं।

संचिका में संलग्न पत्र सं0 831/30.10.13 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने के बाद 350 प्रशिक्षणार्थीयों में से एक भी लाभार्थी का आवेदन फार्म बैंक को भेजने की कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे उन्हे बैकों द्वारा ऋण दिया जा सके। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा 350 प्रशिक्षणार्थीयों में से एक भी लाभुको को प्लेसमेन्ट नहीं दिया गया। संस्था द्वारा प्रशिक्षण से संबधित एक भी पंजी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह पता चल सके कि प्रशिक्षण दिया भी गया था।

संचिका में संलग्न पत्र सं0 877/23.11.13 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि कार्यालय द्वारा 350 प्रशिक्षणार्थीयों को ही प्रशिक्षण देना था जबकि संस्था द्वारा 690 प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण दिया गया। संस्था के इस कदम को कार्यालय द्वारा बिल्कुल गलत ठहराया गया। संस्था द्वारा 690 प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण देने के बाद 69 लाख रूपये (690×10000) का समर्पित विपत्र कार्यालय द्वारा फर्जी पाया गया।

संचिका में संलग्न पत्र सं0 976/13.12.13 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि संस्था द्वारा पत्रांक सं0 609/15.09.13 द्वारा समर्पित 96 पृष्ठ की अभिश्रव की छाया प्रति कार्यालय द्वारा शत प्रतिशत फर्जी पाया गया या ठहराया गया।

संचिका में संलग्न पत्र सं0 562/14.08.14 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने के बाद सभी 690 प्रशिक्षणार्थीयों का आवेदन पत्र, उपस्थिति पंजी, फोटोग्राफ, किट्स वितरण पंजी, एवं प्रशिक्षण से संबंधित सभी अभिश्रव की मूल प्रति समर्पित नहीं किया गया।

संचिका में संलग्न पत्र सं0 897/28.11.14 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि संस्था द्वारा तीन ट्रेडों में ही प्रशिक्षण दिया गया था।

कार्यालय द्वारा अंकेक्षण दल को समर्पित आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि कुछ आवेदनों मे टैक्स दरोगा द्वारा अगस्त'13 में बी.पी.एल. का सत्यापन किया गया था तथा कुछ आवेदैन में बी.पी.एल. का सत्यापन नहीं किया गया एवं कुछ आवेदन में कार्यपालक पदाधिकारी एवं किसी कार्यालय कर्मी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 350 प्रशिक्षार्णीयों का भौतिक लक्ष्य प्रेषित किया गया था। जिसमें स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में पॉच घटक बनाए गए थे। इन पॉच धटको में एक धटक URBAN SELF EMPLOYMENT PROGRAMME (USEP) था। जिसके अन्तर्गत 350 प्रशिक्षार्णीयों में से 50 प्रशिक्षार्णीयों को उधोग स्थापित कराना था। इसके लिए संस्था द्वारा बैंको से ऋण उपलब्ध कराना था। ऋण में 70 प्रतिशत राशि बैको द्वारा, 25 प्रतिशत नगर निकाय द्वारा एवं शेष 5 प्रतिशत स्वयं प्रशिक्षार्णीयों द्वारा मिलाकर कुल 100 प्रतिशत अर्थात 200000/– रूपये (140000:50000:10000) जमा कर उधोग स्थापित करना था।

संस्था द्वारा कार्यालय को समर्पित अभिश्रव की मॉग अंकेक्षण दल द्वारा की जाने पर भुतपूर्व प्रधान सहायक श्री जीवन रत्न कुशवाहा एवं वर्त्तमान प्रधान सहायक द्वारा यह बताया गया कि समर्पित सभी अभिश्रव संस्था द्वारा वापस ले लिया गया है अर्थात एक भी अभिश्रव कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अंकेक्षण आपत्तियॉ –

1. पत्र सं0 897/28.11.2014 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब कार्यालय द्वारा यह स्वीकार किया था कि चयनित संस्था सम्बोधित द्वारा 350 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के आदेश के स्थान पर 690 प्रशिक्षार्णीयों को प्रशिक्षण दिया गया एवं प्रशिक्षण दिये जाने के बाद कार्यालय को एकरारनामा की शर्त सं0 13 के अनुसार प्रशिक्षण से संबधित प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी, किट्स वितरण पंजी एवं इसकी संख्या, किट्स वितरण का फोटो, सभी अभिश्रव, बी.पी.एल. संख्या

117

का सत्यापन सहित लाभार्थियों का आवेदन पत्र, टुल किट किस प्रतिष्ठान से खरीदा गया की सुचना, इत्यादि से संबधित दस्तावेज एवं एकरारनामा की शर्त सख्या 8 तथा 9 एवं संलग्न शपथ पत्र के कम सख्या 9 तथा 10 के अनुसार प्रशिक्षण के बाद कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्लेस्मेन्ट दिया गया एवं कितने इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को बैंक से ऋण के लिए आवेदन फार्म बैकों में जमा किया गया इत्यादि से संबधित सूचना/दस्तावेज कार्यलय को समर्पित नहीं किया गया, यहॉ तक की कार्यालय ने संस्था द्वारा समर्पित सभी अभिश्रवों को फर्जी पाया, तो क्यों एवं किस आधार पर चयनित संस्था सम्बोधित को अगले अग्रिम की राशि रू0 2200000/– का भुगतान किया गया। अंकेक्षण दल को इस बात से भी अवगत नहीं कराया गया कि जब नबम्बर 2013 में कार्यालय ने यह पाया था कि संस्था एकरारनामा एवं संलग्न शपथ पत्र में उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन नहीं किया एवं संस्था द्वारा फर्जी अभिश्रव समर्पित किया गया जिसका समायोजन नहीं किया जा सकता था तो फरवरी 2014 में अथार्त तीन महीने बाद रू0 2200000/– रूपये की पंचम अग्रिम का भुगतान करने में तत्परता दिखाई गयी। कार्यालय द्वारा उठाया गया यह कदम कहीं न कहीं चयनित संस्था को UNDUE FAVOUR की ओर इशारा करती है।

2. संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पत्रांक सं0 570/06.07.2013 द्वारा कार्यालय ने टैक्स दरोगा श्री सियाराम झा को समर्पित आवेदनों के बी.पी.एल. संख्या की जांच का आदेश निर्गत किया गया जबकि संस्था सम्बोधित द्वारा 06.10.2012 से ही प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अर्थात प्रशिक्षण शुरू होने के 09 महीने बाद बी.पी.एल. संख्या की जांच का आदेश निकाला गया जो वस्तुतः नियमो की खानापूर्ति करना प्रतीत होता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया वो वी.पी.एल. सूची के नहीं भी हो सकते थे।
3. जब एकरारनामा एवं कार्यादेश में कहीं भी संस्था को अग्रिम देने की शर्त नहीं लिखी गयी थी तो संस्था को लगातार अग्रिम देने की स्वीकृति एवं संस्तुति (Proposed) करने के कारण से दल को अवगत नहीं कराया गया।
4. चयनित संस्था सम्बोधित को प्रथम अग्रिम 25.02.13 को दिया गया। संस्था द्वारा समर्पित बिपत्र के समायोजन नहीं होने के बावजूद भी लगातार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम अग्रिम बिहार मुनिसीपल लेखा नियम 1928 के किस नियम के तहत दिया गया, अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। जबकि बिहार सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार प्रथम अग्रिम के समायोजन के पश्चात् ही द्वितीय अग्रिम देने का प्रावधान है।
5. अंकेक्षण दल को इस बात से अवगत नहीं कराया गया कि 30.06.2012 तक नगर परिषद् सुल्तानगंज में कितने आवेदन प्राप्त हुए थे एवं प्राप्त आवेदनों में से कितने कितने प्रशिक्षाणीयों को कौन कौन से ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया था।

1170

6. अंकेक्षण दल को यह भी नहीं बताया गया कि संस्था द्वारा सुल्तानगंज में कहॉ ट्रेनिंग दी गयी। Institute/स्थान का नाम, अगर जगह किराया पर लिया गया था तो मकान मालिक का नाम, रेन्ट रीसीट इत्यादि से अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया।
7. प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक का नाम, योग्यता, संस्था द्वारा उनके चयन की प्रकिया, उन्हे भुगतान की गयी राशि की विवरणी, शिक्षकों द्वारा राशि प्राप्ति का प्रमाण-पत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं करायी गयी।
8. बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के तहत संस्था को रजिस्टर्ड होने का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति भी दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
9. कार्यलय द्वारा भुगतान की गयी राशि रू0 5000000/– संस्था के किस खाता सख्या में जमा की गयी, खाता सं0 बैक का नाम इत्यादि भी दल को उपलब्ध नहीं करायी गया।
10. संस्था द्वारा समर्पित सभी अभिश्रवों की छाया प्रति दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
11. विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी, किट्स वितरण पंजी एवं इसकी संख्या, किट्स वितरण का फोटो, बी.पी.एल.संख्या का सत्यापन सहित लाभार्थियों का आवेदन पत्र, टुल किट किस प्रतिष्टान से खरीदा गया की सूचना अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
12. इसके साथ-साथ यह भी नहीं बताया गया कि प्रशिक्षण के बाद कितने प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को प्लेशमेन्ट दिया गया एवं कितने इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को बैको से ऋण के लिए आवेदन फार्म बैकों में जमा किया गया।
13. संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि 2012–13 में प्राप्त राशि 75 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र जुलाई 2015 तक नहीं भेजा गया। समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को प्रेषित नहीं करने के कारण कार्यालय को 2013–14 की स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना मद की राशि से वंचित होना पड़ा, जिसके कारण सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याण कार्यक्रम पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चयनित संस्था सम्बोधित को रू0 5000000/– का अनियमित भुगतान हुआ एवं योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के उदेश्य की पूर्ति नहीं होने से अग्रिम की राशि रू0 5000000/– का अनियमित भुगतान हुआ। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि अग्रीम के रूप मे दी गयी राशि रू0 5000000/– की वसूली की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

167

भाग– 2 (ख)

कंडिका संख्या 2:–जीवन ज्योति सौताडीह–गैर सरकारी संस्था को स्वच्छता कार्य में अधिक भुगतान (राशि–10.29 लाख)

जीवन ज्योति सौताडीह– गैर सरकारी संस्था के स्वच्छता कार्य से संबधित संचिकाओं के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

1. श्रावणी मेला 2013 में सफाई कार्य के लिए निविदा निकालने की सहमती सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.5.13 में ली गयी। तत्पश्चात् दैनिक सामाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में दिनांक 21.6.13 को निविदा (अभिरूचि की अभिव्यक्ति) निकाली गयी। निविदा के आलोक में पॉच निविदादाता ने निविदा डाली।
2. सभी निविदादाताओं की तुलनात्मक विवरणी तैयार की गयी एवं स्थायी समिति द्वारा कागजातों के सही रहने के आधार पर **जीवन ज्योति सौताडीह** का चयन 26.6.13 को प्रस्ताव सं0–2 में किया गया। अभिरूचि की अभिव्यक्ति निविदा में कोई शर्त एवं देय राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। जीवन ज्योति सौताडीह एक गैर सरकारी संस्था है जिसका गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अंतर्गत 5.10.1994 को किया गया था। संस्था का पैन संख्या AABTJ0980H था।
3. निविदादाता के अंतिम चयन के बाद पत्रांक सं0 590/ 12.7.13 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश में भी कहीं भी देय राशि का उल्लेख नहीं पाया गया। क्रम सं0 –2 में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री की व्यवस्था गैर सरकारी संस्था द्वारा करने की बात कही गयी थी।
4. तत्पश्चात् कार्यालय एवं चयनित गैर सरकारी संस्था '**जीवन ज्योति सौताडीह**' के बीच दिनांक 12.7.13 को एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के क्रम सं0 18 में कार्यालय द्वारा कार्य समाप्ति के उपरान्त सम्पूर्ण विपत्र के भुगतान राशि पर 5 प्रतिशत कमीशन' देने की बात कही गयी। एकरारनामा सिर्फ श्रावणी मेला के लिए ही किया गया था। आगे यह ज्ञात हुआ कि प्रस्ताव सं0 3/22.8.13, 5/घ/10.4.14 एवं 17/7.6.14 द्वारा इसी संस्था को नगर परिषद् क्षेत्र में आगे के महीनों के लिए सफाई कार्य का जिम्मा दिया जाता रहा, परंतु विस्तारित अवधि के लिए अलग से एकरारनामा नहीं किया गया।
5. जीवन ज्योति संस्था का गठन बिना किसी लाभांश जन कल्याण हेतु की गयी थी और संस्था का उद्देश्य जन कल्याण ही करना था एवं संस्था के आय के स्त्रोत 'दान एवं चंदा, सदस्यता

शुल्क, संस्था द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रदर्शन, संस्था द्वारा स्थापित एवं संचालित उत्पादन इकाईयों एवं सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से अनुदान एवं ऋण था।

6. संस्था द्वारा कभी भी उसके द्वारा किए गये कार्य पर कमीशन मांगे जाने का प्रमाण नहीं पाया गया। कार्यालय द्वारा स्वयं ही एकरारनामा में समर्पित विपत्र पर 5 प्रतिशत कमीशन देने की बात कही गयी थी।
7. मजदूर का चयन एवं मजदूरी का भुगतान जीवन ज्योति सौताडीह द्वारा पहले किया जाता था फिर बाद में संस्था द्वारा बिल समर्पित करने के उपरान्त राशि का भुगतान संस्था को कार्यलय द्वारा किया जाता था।
8. सामग्री के आवश्यकता की सुची पहले संस्था द्वारा कार्यालय को सौपी जाती थी फिर सामान का क्रय संस्था द्वारा कर समर्पित बिल का भुगतान कार्यालय द्वारा किया जाता था।
9. <u>Brief History of Jeevan Jyoti Sautadih is as Under</u>

   Jeevan Jyoti Sautadih was established in the year 1994 by a group of social workers, educationists and rural people of the locality with a view to protect the interest of downtrodden and most neglected persons of the society specially women, youth and children. It was established in such a time when many social, spiritual, economical and educational problems were at the peak point prevalent in the society. It is multipurpose stated level non-profit welfare organization of its own kind and has been legally registered in the year 1994 with the inspector General of Registrations, Bihar, Patna under Societies Registration Act (XXI) of 1860. It is dedicated to protect the suffering humanity for their survival and executes any welfare Programmes for their overall development and betterment.
10. Infrastructure of Jeevan Jyoti soutadih Having adqquate Good furnished office availability of sufficient furniture, medical equipment, educational equipment & vocational training instruments to run any project.
11. Manpower- Fulltime devotee office bearers. About 35 no. of trained volunteers. All office stadd will educated & motivated.
12. इस संस्था को 2013–15 की अवधि में भुगतान की गयी राशि की विवरणी इस प्रकार है:–

167

कम सं0	चेक संख्या	दिनांक	राशि (रूपये में)	मद
1	080767	11-4-14	1204323.00	स्टाम्प ड्युटी
2	080919	16-10-14	525000.00	
3	080933	13-11-14	783600.00	
4	080934	13-11-14	586100.00	
5	080953	18-12-14	202285.00	
6	080905	9-9-14	1270968.00	श्रावणी मेला
7	402763	10-8-13	700000.00	
8	449984	19-9-13	500000.00	
9	080734	28-1-14	453132.00	पेशाकर
10	049601	4-9-13	300000.00	तेरहवीं वित्त आयोग
11	049603	19-9-13	500000.00	
11	080731	28-1-14	244991.00	
12	080760, 61,62	13-2-14	871217.00	
13	080763	13-2-14	178268.00	
14	049606	29-5-14	704080.00	
15	049607	7-6-14	606254.00	
16	049608	20-9-14	1154380.00	
17	049614	19-1-15	590000.00	
18	049615	21-1-15	450000.00	
19	049617	7-2-15	500000.00	
20	049446	25-7-13	500000.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
21	080902	9-7-14	646163.00	
22	080946	28-11-14	738724	
23	642278	12-8-14	1012292.00	स्वयं का स्त्रोत
		कुल	15221777.00	

अंकेक्षण आपत्तियॉः–

1. जीवन ज्योति सौताडीह एक गैर सरकारी संस्था है। जिसका पैन संख्या AABTJ0980H है। इसने सुल्तानगंज नगर परिषद् एक सरकारी संस्था से सफाई कार्य के लिए एकरारनामा किया। अतः आयकर अधिनियम की धारा 194/सी/1 के अंतर्गत अंतिम भुगतान पर 2 प्रतिशत आयकर की राशि काट कर ही नगर परिषद् को अंतिम भुगतान करना चाहिए था, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी कोई राशि उक्त अधिनियम के अंतर्गत नगर परिषद् द्वारा नहीं काटी गयी थी, फलस्वरूप राशि 304436/– (15221777 का 2 प्रतिशत) का अधिक भुगतान हुआ।
2. कार्यालय द्वारा निकाले गये निविदा एवं निर्गत कार्यादेश में कहीं भी समर्पित विपत्र पर 5 प्रतिशत कमीशन देने की बात नहीं कही गयी थी। इसके साथ साथ चयनित संस्था द्वारा न तो प्रथम अभिव्यक्ति में और न हीं किसी भी समय 5 प्रतिशत कमीशन मॉगे जाने का प्रमाण संचिका में पाया गया, तो संस्था को नगर परिषद् द्वारा समर्पित विपत्र पर स्वयं ही 5 प्रतिशत देने की शर्त पर एकरारनामा करने के कारण से अंकेक्षण की समाप्ति तक दल को अवगत नहीं कराया गया। समर्पित विपत्र पर 5 प्रतिशत कमीशन देने का प्रस्ताव संस्था को चयन के बाद

दिया गया अगर चयन के पहले कार्यालय द्वारा समर्पित विपत्र पर कमीशन देने की शर्त रखी जाती तो संभव हो सकता था कि अन्य कोई संस्था 5 प्रतिशत कमीशन से कम दर पर भी अपनी सहमति दे सकती थे। जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया एवं कहीं न कहीं संस्था को फायदा पहुँचाने की कार्यालय स्तर से कोशिश की गयी।

3. जीवन ज्योति सौताडीह का गठन बिना किसी लाभांश के जन कल्याण हेतु की गयी थी तथा इसके आय का स्त्रोत 'दान एवं चंदा, सदस्यता शुल्क, संस्था द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रदर्शन, संस्था द्वारा स्थापित एवं संचालित उत्पादन इकाईयों एवं सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के अनुदान एवं ऋण से था। इस परिस्थिति में 5 प्रतिशत कमीशन की शर्त पर एकरारनामा करना तार्किक दृष्टिकोण से सही प्रतीत नहीं होता हैं। अतः संस्था को समर्पित विपत्र पर 5 प्रतिशत कमीशन राशि 724847/– (15221777×100/105) का अनियमित एवं अधिक भुगतान किया गया। जो संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है।
4. संचिका में संस्था को कितने लेबर रखने का लाइसेंस प्राप्त था इसका प्रमाण नहीं पाया गया। संस्था के चयन के समय इस बिन्दु पर कोई मन्तवय कार्यालय स्तर पर संचिका में नहीं पाया गया।
5. संस्था द्वारा कार्य कराये गये मजदुर की उपस्थिति पंजी, कितने मजदुर को किस– किस तारिख को किस –किस वार्ड में लगाया गया इत्यादि से संबधित दस्तावेज अंकेक्षण दल के समक्ष आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. प्रत्येक वार्ड से कुड़ा उठाकर कहॉ गिराया जाता था, इसके संबध में कोई सूचना संचिका में नहीं पायी गयी। संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि संस्था के चयन के समय या अंकेक्षण की समाप्ति तक कार्यालय द्वारा यह अनुमान कभी भी नहीं लगाया गया कि सुल्तानगंज नगर परिषद् में कितना कुड़ा निकलता है। बिना अनुमान के किस आधार पर कार्यालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि जीवन ज्योति सौताडीह संस्था नगर परिषद् क्षेत्र में कुड़ा उठाव का कार्य सफलतापूर्वक कर सकेगा जबकि संस्था को इस क्षेत्र में पहले कोई अनुभव नहीं था।
7. संस्था के पास कुड़ा उठाने के लिए किस प्रकार का एवं कितना संसाधन उपलब्ध है, इसकी कोई सूचना संचिका में तथा संस्था द्वारा समर्पित दस्तावेजों में कहीं नहीं पायी गयी। संचिका में सलंग्न पेज सं0 435 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन ज्योति सौताडीह के पास अपना ट्रैक्टर भी नहीं था। जीवन ज्योति सौताडीह द्वारा नगर परिषद् के संसाधनों जैसे चार ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता रहा था। जानकारी प्राप्त किए बिना ही संस्था का कुड़ा उठाव एवं सफाई कार्य के लिए चयन ही संदेहास्पद एवं गलत प्रतीत होता है।

165

8. संस्था के चयन के समय तकनिकी बीड एवं वित्तीय बीड जैसे किसी दस्तावेज की मांग न तो कार्यालय द्वारा की गयी और न ही संस्था द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। बिना सम्पूर्ण दस्तावेजों की जांच किए बिना संस्था का चयन एवं भुगतान गलत एवं विहार वित्त नियमावली के विरूद्ध है।

9. आगे संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि 13वीं वित्त आयोग से राशि रू0 6099190/– का उपयोग सफाई कार्य के लिए किया गया। अंकेक्षण दल को इस बात से अवगत नहीं कराया गया कि क्या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2000 के अनुसूचि–III (नियम 6(1) तथा (3), 7(2)) के अनुसार कूड़ा संग्रह केन्द्र पर निम्नलिखित सुविधाओं का प्रावधान किया गया था –

क. कूड़ा संग्रह केन्द्र का घेराव करना तथा वाहनों के जाने के लिए गेट का निर्माण करना।

ख. कूड़ा संग्रह केन्द्र में अप्राधिकृत व्यक्तियों तथा घुमक्कड़ पशुओं के प्रवेश पर रोक के उपाय करना।

ग. कूड़ा संग्रह केन्द्र के निरीक्षण, अभिलेखों तथा प्रदुषण नियंत्रण से संबंधित औजारों/संयंत्रों इत्यादि के रख–रखाव हेतु कार्यालय।

घ. कूड़ों के तौलने के लिए धर्म कॉटा (weigh bridge) का व्यवस्था कूड़ा संग्रह केन्द्र पर करना, अग्निशमन औजारों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।

ड़. कूड़ा संग्रह केन्द्र पर पेयजल तथा प्रकाश की व्यवस्था जिससे रात्री में कार्य करने में कर्मियों को सुविधा हो।

च. कामगारों के स्वास्थ्य की आवधिक जॉच के साथ ही सुरक्षा संबंधी प्रावधान।

प्रस्तुत संचिकाओं के अवलोकन से यह पता नहीं चल सका कि उपर लिखित प्राावधानों के अनुसार ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन एवं संचालन नगर परिषद् कार्यालय द्वारा किया जाता था।
अतः अधिक भुगतान की गयी राशि रू0 1029283 संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है एवं उक्त आपत्तियों का संतोषप्रद जवाब दिये जाने तक अनियमित भुगतान की गयी राशि 14192494 (15221777–1029283) को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या 3ः–समेकितअल्प लागत स्वच्छता योजना (आई0एल0सी0एल0) के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालय में परिवर्त्तन/निर्माण में अनियमितताएँ

नगर परिषद, सुलतानगंज द्वारा आई0एल0सी0एल0 से संबंधित उपलब्ध कराये गये संचिकाओं के नमूना जाँच के कम में ज्ञात हुआ कि नगर परिषद, सुलतानगंज में शुष्क शौचालय को जलवाही शौचालय में परिवर्त्तन करना, मैनुअल स्केवेन्जर्स की पहचान तथा नये शौचालयों का निर्माण किया जाना था।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था निम्नवत निर्धारित की गई थी –

1. भारत सरकार का अनुदान–75 प्रतिशत
2. राज्य सरकार का अनुदान–15 प्रतिशत
3. लाभान्वितों का अशदान– 10 प्रतिशत

भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की उपरी सीमा रू0 10000/– दो गढ्ढेवाले जलवाही शौचालय(उपरी निर्माण सहित) की पूर्ण इकाई के लिए निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, पूर्ण इकाई के निर्माण के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कुल रू0 9000/– दिया जाना था।

उक्त योजना का सर्वे एवं डी0पी0आर0 बनाने के लिए तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए नगर परिषद, सुलतानगंज द्वारा दिनांक 30.8.09 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में अभिव्यक्ति की अभिरूची आमंत्रित की गई तथा तकनीकी बीड प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5.9.09 निर्धारित की गई। इस तिथि तक मात्र एक आवेदन प्राप्त हुई जो सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय द्वारा दी गई थी। इस संस्था का दिनांक 3.9.09 की स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0 3 द्वारा चयन किया गया। लेकिन संस्था द्वारा शपथ पत्र नहीं दिये जाने के कारण पुनः अभिव्यक्ति की अभिरूची आमंत्रित की गई। इस बार 6 आवेदन प्राप्त हुआ बताया गया, परन्तु एक भी आवेदन संचिका में नहीं पाया गया। दिनांक 12.12.09 की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में फिर से सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय का चयन किया गया। इस संस्था को डी पी आर तैयार करने के लिए कार्यादश निर्गत किया गया तथा एकरानामा भी किया गया। इस संस्था द्वारा तैयार डी पी आर परिषद की सामान्य बैठक में स्वीकृत कर सरकार को भेजा गया। इस डी पी आर में परिषद क्षेत्र में 2448 संडास एवं 3229 खुले जगह तथा परिषद क्षेत्र में एक भी कमाउ शौचालय का नहीं होने का उल्लेख किया हुआ बताया गया।

एकरारनामा की कंडिका 8 में स्पष्ट उल्लेख था कि डी पी आर निर्माण तथा सर्वेक्षण की राशि डी पी आर स्वीकृति के उपरान्त द्वितीय पक्ष (सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय) को देय होगा। लेकिन डी पी आर स्वीकृति के बिना ही नगर परिषद द्वारा सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय को कुल रू0 535000 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है –

163

क्रम सं0	चेक सं0/दिनांक	राशि
1.	ए 620029/7.5.13	300000
2.	ए 620053/2.7.13	235000
	कुल	535000

सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय द्वारा शौचालय निर्माण से संबंधित प्राक्कलन प्रस्तुत किये बिना ही परिषद द्वारा दिनांक 7.3.13 को शौचालय निर्माण से संबंधित कार्यादेश निर्गत किया गया तथा संस्था के पत्रांक 164 दिनांक 4.12.12 के अनुरोध पर परिषद द्वारा रू0 500000/– की अग्रिम दी गई (चेक सं0 ए 620020 दिनांक 13.3.13)। संस्था द्वारा कुल 57 शौचालय निर्माण की सूची परिषद कार्यालय को सौंपी गई तथा सरकार द्वारा संशोधित दर रू0 15000/– प्रति शौचालय की दर से भुगतान करने का अनुरोध किया गया। परिषद कार्यालय द्वारा मापी पुस्त में उल्लिखित लागत रू0 14815/– प्रति शौचालय के आधार पर कुल 57 शौचालय का कुल लागत रू0 742065 (रॉयल्टी की राशि रू0 16889 तथा लाभुकों से प्राप्त राशि रू0 85500 को घटाने के बाद) तथा सुपरविजन चार्ज (13.50 प्रतिशत की दर से) रू0 114001 अर्थात कुल रू0 856066 निकालने के बाद पुनः संस्था को रू0 500000 (चेक सं0 ए 620078 दिनांक 13.10.13) की अग्रिम दी गई। पुनः संस्था द्वारा (57 +10) शौचालयों की निर्माण करने की सूचना दी गई। परिषद द्वारा 57 शौचालयों की जॉच सफाई निरीक्षकों से कराने पर 48 शौचालयों का निर्माण अपूर्ण पाया गया। 10 शौचालयों की जॉच नहीं करायी गयी। कार्य में शिथिलिता बरते जाने के कारण संस्था का एकरारनामा रद्द कर दिया गया तथा अग्रिम दी गई राशि के समायोजन के लिए विपत्र प्रस्तुत करने तथा 60 अन्य लाभूको से कुल रू0 90000 (प्रति लाभूक रू0 15000/– की दर से) वापस करने का आदेश दिया गया। संस्था द्वारा लेखापरीक्षा अवधि तक इस संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद शौचालयों के निर्माण के लिए जीवन ज्योति सौताडीह, बॉका का चुनाव किया गया। इस संस्था द्वारा 35 शौचालयों के निर्माण से संबंधित कुल रू0 525000(35Xरू015000) का विपत्र प्रस्तुत किया गया। विपत्रों के विरूद्ध रू0 260974 (ए 81100 दिनांक 31.3.15) का भुगतान सुलभ शौचालय निर्माण मद से तथा रू0 264000 (ए 049621 दिनांक 13.5.15) का भुगतान तेरहवीं वित्त से किया गया। इस संस्था को भुगतान करते समय लाभूकों के अंशदान की राशि रू0 52500 तथा रॉयल्टी कर राशि रू0 5250, लेबर सेस की राशि रू0 5250 तथा आयकर की राशि रू0 10500 की कटौती नहीं की गई।

अंकेक्षण आपत्तियॉ:–

1. शुष्क शौचालयों के निर्माण के लिए आमंत्रित अभिव्यक्ति की अभिरूची में प्राप्त आवेदकों से प्राप्त आवेदन की प्रतियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. तैयार की गई तुलानात्मक विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय के साथ की गई एकरारनामा की कंडिका 8 में स्पष्ट उल्लेख था कि डी पी आर निर्माण तथा सर्वेक्षण की राशि डी पी आर स्वीकृति के उपरान्त द्वितीय पक्ष (सर्व

सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय) को देय होगा। लेकिन डी पी आर स्वीकृति के बिना ही नगर परिषद द्वारा सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय को कुल रू0 535000 का भुगतान किया गया जोकि एकरारनामा का उल्लधंन है। अतः राशि 535000/– का गलत एवं अनियमित भुगतान किया गया। यह राशि संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।

4. सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय द्वारा शौचालय निर्माण से संबंधित प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कार्यालय द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं दी गयी परन्तु कार्यालय द्वारा दिनांक 7.3.13 को शौचालय निर्माण से संबंधित कार्यादेश निर्गत करना अनियमित था।
5. सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय द्वारा 57 शौचालयों निर्माण से संबंधित परिषद में प्रस्तुत किये गये मापी पुस्तों को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण उनकी सम्यक जांच नहीं की जा सकी।
6. सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय को अग्रिम दिये जाने से संबंधित एकरारनामा में कोई प्रावधान नहीं किए जाने के बावजुद संस्था को अग्रिम की राशि रू0 1000000/– का अग्रिम भुगतान करना अनियमित था।
7. संस्था के विपत्र के विरूद्ध भुगतान करते समय विपत्र की राशि का 20 प्रतिशत (पैन सं0 के अभाव में) की दर से कटौती नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, 1 प्रतिशत की दर से श्रम सेस की राशि रू0 8445 की वसूली नहीं की गयी। अर्थात राशि रू0 8445 का अधिक भुगतान किया गया। जो संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है।
8. एकरारनामा में सुपरविजन चार्ज की व्यवस्था नहीं किये जाने के बावजूद सुपरविजन चार्ज (13.50 प्रतिशत की दर से) कुल रू0 114001 का भुगतान सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय को किया गया। अर्थात राशि रू0 114001/– का अधिक भुगतान किया गया। जो संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।
9. संस्था को भुगतान करने के पूर्व संस्था द्वारा किये गये कार्य की जॉच परिषद के तकनीकी व्यक्ति से नहीं करायी गई।
10. शुष्क शौचालय निर्माण से संबंधित की गई सर्वे तथा डी0पी0आर0 की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
11. सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय द्वारा 60 अन्य लाभूकों से ली गई कुल रू0 90000 (प्रति लाभूक रू0 1500 की दर से) अंकेक्षण की समाप्ति तक सर्व सुलभ समाज से वसूली नहीं की गई। जो वसूलनीय है।
12. सर्व सुलभ समाज सेवा, बेगुसराय के साथ की गई एकरारनामा रद्द करने के बाद समाचार पत्रों में निकाली गई अभिव्यक्ति की अभिरूची की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
13. जीवन ज्योति सौताडीह को निर्माण के क्षेत्र में अनुभव नहीं था। अतः इस संस्था का चुनाव शौचालय निर्माण के लिए करने का आधार अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।